FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम जायल

झानाराम बनाम तहसीलदार जायल

म मुकदमा राज० काव० 131,136 RLRAct नं. 74/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/05/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत प्रजापत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131,136 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जुवाब दिनांक 29/06/2020 को पेश हो। तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो। [signature] 20.5 [stamp: सहायक कलक्टर (SDO) जायल]	
29.6.2020	पत्रावली पेश हुई, सालिसर आदेश में इन्तजार होकर 14.7.2020 को प्रस्तुत हो। [signature] [stamp: सहायक कलक्टर (SDO)]	
14/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24/08/2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.11.19 17:36:27 I
Reason: SelfAttested

24/08/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। हल्का पटवारी

मौके पर उपस्थित। हल्का पटवारी के बयान कलमबन्द किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 07/09/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

07/09/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा तहसीलदार द्वारा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
7.9.2020

सहायक कलेक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:36:27 IST
Reason: SelfAttested

यालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी:– विवेक व्यास आर.ए.एस.

आवेदन संख्या–74/2020

प्रार्थी

1. कानाराम पुत्र हेमाराम
2. भीमाराम पुत्र हेमाराम
3. जवाराराम पुत्र जोगाराम के कायम मुकाम
   3/1. गोपाल कृष्ण पुत्र जोगाराम
   3/2. हरीकृष्ण पुत्र जोगाराम

जातियान् जाट निवासीयान् कंकोलगढ़, खोखर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण,
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिड़ा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

दिनांक:–07.09.2020

आदेश

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र जरिये अधिवक्ता नरपत पूनड़ अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का रहवासी प्लाट व मकान खेत खसरा नम्बर 1818/1652 (पुराना खसरा नम्बर 1652/2/2) रकबा 01.18 बीघा किस्म गैर मुमकिन ओरण में आया हुआ है जिसमें प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा रहवासी पट्टे जारी किये जा चुके है। ग्राम पंचायत खोखसर द्वारा दिनांक 16.05.1990 को प्रार्थी संख्या 1 को पट्टा संख्या 7/90, प्रार्थी संख्या 2 को पट्टा संख्या 1/90, प्रार्थी संख्या 3 को पट्टा संख्या 17 दिनांक 29.07.1984 जारी किया गया जिसका पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। श्रीमान् जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्र क्रमांक एफ–12(3)(182) राज/80–81/4764 दिनांक 26.03.1983 के द्वारा खसरा नम्बर 1713/4 व 1652/2 में 10 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी। जिसकी पालना में विप्रार्थी द्वारा आबादी आवंटन के साथ संलग्न परिशिष्ट **'ब'** के अनुसार तरमीम नहीं कर, परिशिष्ट 'स' के अनुसार तरमीम कर दी गई जो की गलत की गई ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थी से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट मांगी गई। विप्रार्थी तहसीलदार गिड़ा के पत्रांक भूअ/2020/2945 दिनांक 09.07.2020 के द्वारा तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा संबंधित हल्का पटवारी के बयान दर्ज किये गये।

तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खोखसर के खसरा नम्बर 1652/2 में से जिस भूमि को आबादी हेतु प्रस्तावित किया गया था, उनके बीचोबीच में से सार्वजनिक निर्माण विभाग की गैर मुमकिन सड़क के नाम भूमि आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 360 स्वीकृत दिनांक 15.02.1983 रेकर्ड में दर्ज कर लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई, जिससे प्रस्तावित आबादी भूमि दो भागो में विभाजित हो गई। आबादी विस्तार की प्रस्तावित भूमि तत्कालीन खसरा नम्बर 1652/2/2 रकबा 01.18 बीघा पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1652/2 रकबा 46.14 बीघा के आंशिक भाग में रह गयी थी। उक्त सड़क तरमीम हो जाने के बाद श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर द्वारा दिनांक 26.03.1983 खसरा नम्बर 1652/2 में से 05.10 बीघा भूमि की आबादी विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने पर ग्राम खोखर के नामान्तरकरण संख्या 694 स्वीकृत दिनांक 02.09.1983 द्वारा खसरा नम्बर 1652/2 मे से रकबा 05.10 बीघा आबादी विस्तार कर खसरा नम्बर 1652/2/1 (वर्तमान जमाबंदी अनु... खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:36:27 IST
Reason: SelfAttested

52) दर्ज किया गया। जबकि भूलवंश खसरा नम्बर 1652/2/2 रकबा 01.18 बीघा (वर्तमान नम्बर 1818/1652 में गैर मुमकिन ओरण रह गया था। खसरा नम्बर 1652/2/2 का भाग रकबा बीघा मूल आबादी प्रस्ताव में शामिल था। खसरा नम्बर 1652/2/2 मूल आबादी प्रस्ताव में शामिल जो त्रुटिवश गैर मुमकिन ओरण रह गया था एवं लिपिकीय त्रुटि से आवेदन के संलग्न परिशिष्ट स के नुसार गलत तरमीम कर दी गई। विप्रार्थी द्वारा आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा तहसीलदार बायतु से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट, जवाव एवं संबंधित हल्का पटवारी के ब्यानों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1652/2/2 रकबा 01.18 बीघा (वर्तमान खसरा नम्बर 1818/1652) मूल आबादी प्रस्ताव में शामिल था लेकिन भूलवंश गैर मुमकिन ओरण रह गया तथा आवेदन के संलग्न परिशिष्ट 'स' के अनुसार तरमीम कर दी गई, जो गलत की गई।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा खोखर पटवार मण्डल खोखसर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1818/1652 रकबा 01.18 बीघा भूमि जो भूलवंश श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर के आदेश कमांक एफ 12(3)( ) राज/80–81/12019 दिनांक 29.12.1983 के साथ संलग्न नक्शें में से छूट गई थी जिसको आवेदन के साथ परिशिष्ट 'ब' के रूप में संलग्न किया गया है। ग्राम पंचायत खोखर व तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा आबादी विस्तार के प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा आदेशानुसार तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । आदेश आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास
7.9.2020

(विवेक व्यास)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:36:27 IST
Reason: SelfAttested